संख्या 20-31/2007-बागवानी-IV (भा.) (पी-18975)

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 18th दिसम्बर, 2016

सेवा में,

- सचिव, सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग,
- बागवानी/कृषि विभाग
- सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन,
- सचिव,
- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/महानिदेशक-भा.कृ.अनु.प.;
- कुलपति
- राज्य कृषि विश्वविद्यालय/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ।

विषय: काजू एवं कोको विकास निदेशालय, कोची (केरल) में उप-निदेशक के पद का भरा जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, काजू एवं कोको विकास निदेशालय, कोची (केरल) में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा आधार सहित) पर (पूर्व संशोधित) पीबी-3, रु0 15600-39100/- + ग्रेड वेतन 6600/-), (संशोधित) वेतनमान: लेवल 11 (67,700-2,08,700), वेतन सूचकांक कोष्ठ-1, के वेतनमान में उप - निदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-क, राजपत्रित, अननुसचिवीय) के एक पद को भरना प्रस्तावित है। पात्रता शर्तें नीचे दिए अनुसार हैं:-

1. **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):-**

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि विश्वविधालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (I) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(II) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100/-रु0 + ग्रेड वेतन 5400/- रु0 या सम्तुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; या

(III) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु0 + ग्रेड वेतन 4800/- रु0 या सम्तुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में उन पदों पर छः वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(एस.एन. खसरा / S.N. ...)
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Govt. of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi

जारी....पृष्ठ स./2

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव हैं:-

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी मे विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिये ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गयी सेवा समझी जायेगी।

2. पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख रहेगी । यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि **इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।**

3. "प्रतिनियुक्ति" आधार पर चयनित अधिकारी के पास यह विकल्प होगा कि दिनांक 11.03.1998 के डीओपीटी के का.ज्ञा.सं. 2/8/97-स्था (वेतन-II) में समय-समय पर यथा संशोधनों के अनुसार पद से सम्बद्ध वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाये या अपने ग्रेड वेतन जमा प्रतिनियुक्ति ड्यूटी भत्ता आहरित करें ।

4. यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे उपयुक्त और इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी, जो पात्र हैं और जिन्हें उनके चयन की स्थिति में तत्काल छोड़ा जा सकता है, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में या इस विभाग की वेबसाइट <u>www.agricoop.nic.in</u> से डाऊनलोड करके तथा ए-4 आकार के कागज़ में साफ-साफ टंकित आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से <u>60 दिन के भीतर</u> **अवर सचिव (बागवानी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कमरा संख्या – 457, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001** को भेज सकते हैं (गोपनीय रिपोर्टों की छाया प्रतियां अवर सचिव, भारत सरकार के रैंक अधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं होनी चाहिए)। आवेदन अग्रेषित करते समय, यदि

एस. एन. जसवाल / S. N. JASWAL
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Govt. of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

जारी....पृष्ठ सं./3